कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

[redacted] [illegible] [redacted]

पत्रांक 3697 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 21-12-2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुऑं के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/Others/21599/2016)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/1512 दिनाँक–22.12.21 व पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/1413 दिनाँक–12.01.2022।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पत्रांक–665/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0/2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है। जिसकी प्रति मूल में संलग्न है।(संलग्न–1)

क.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण /आख्या
1	बिन्दु संख्या–01,02 एवं 03 को संज्ञान में लेते हुये यह ज्ञात होता है कि विभिन्न निर्माण अनुसार कार्यो हेतु लिया गया क्षेत्रफल (area), वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्राथमिक शर्त जिसके अनुसार 'minimum area requirement' हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिये की पूर्ति नहीं करता है। सभी प्रस्तावित components हेतु चाहा गया क्षेत्र अत्यधिक जान पड़ता है इसके अतिरिक्त 30-40% क्षेत्र प्रत्येक components के साथ अतिरिक्त लिया गया हैं तथा कुल क्षेत्रफल में पुनः 10% भी अतिरिक्त लिया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–665/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0/2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है, जो कि प्रति वर्ष 10–11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हेतु आवश्यक है। **उक्त भूमि पर 200मी0 का रनिंग ट्रैक के अलावा बॉलीबाल कोर्ट, खो–खो कोर्ट, कबड्डी, कुश्ती पिच आदि का निर्माण किया जायेगा एवं साथ ही अन्य निर्माण कार्य किये जायेंगे–जैसे प्रशासकीय ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनेरेटर रूम, बाउड्रीवाल, पवेलियन, इण्डोर गेम हॉल, चेन्जिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की जरूरत है।**
2	मिनी स्टेडियम हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टैन्डर्ड डिजाइन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्रस्ताव क्रम(FP/UK/OTHRRS/50039/2020) sports Stadium 1.5 है0 क्षे0 का अनुमोदन किया गया है। अतः प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र 4.9962है0 दर्शाया गया है, जो अत्यधिक है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–665/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0/2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। जो कि उक्त साइट प्लान में ऑनलाइन part 01- additional information में अपलोड कर दिया गया है। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई(निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया standard design पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। 1.5 है0 के अतिरिक्त अन्य खेल सुविधाओं के विकास हेतु 4.9962 है0 भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। जिन्हें ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।

	साथ ही समीप एक अन्य खेल मैदान उपस्थित है। अतः नये क्षेत्र में 365 वृक्षों के पातन उपरान्त एक अतिरिक्त स्टेडियम का निर्माण मान्य नहीं है। अतः अनुरोध है कि पूर्व स्थित खेल मैदान पर ही standerd desine के अनुसार खेल स्टेडियम निमार्ण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–665 / यु0क0 / श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0 / 2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के आस–पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं हैं। साथ ही कार्यालय पत्र संख्या–713 / श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0 / 2021–22 दिनांक–29.10.2021 के द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत।(संलग्न) संयुक्त रिपोर्ट Part-1, Additional Information में अपलोड कर दी गयी है। एवं विभाग ये प्रयास करेगा कि उक्त स्टेडियम निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा, एवं विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण विषयक प्रमाण–पत्र भी अपलोड किया है। प्रस्तावित भूमि के उत्तर में ITBP बाउन्ड्री वाल (वन भूमि हस्तान्तरित), दक्षिण में वन विकास निगम का प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु, पूरब में ITBP बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग, पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो से लालकुआं 25 एकड़ मार्ग तथा अवासीय प्रयोजन हेतु सेंचुरी पेपर मिल को लीज पर दी गयी वन भूमि है।
4	बिन्दु संख्या 08 के सापेक्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि CA क्षेत्र का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं कृपया प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह पुष्टि करें प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षेत्र में विघमान वृक्षों का गणना पत्रक भी प्रस्तुत करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया पत्र सं0–1096 / 12–1–2 बागेश्वर दिनांक 27.09.2022 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या Parivesh portal में part-1, Additional Information में upload कर दी गयी है। <u>संलग्न–2</u>

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या एवं संलगनक सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक–3697 / 12–1 / उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र लालकुआं।
3. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल को उनके पत्रांक–665 / यु0क0 / श0मो0ना0 गो0 –मिनि स्टे0 / 2021–22 दि0–03.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी